पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

उत्तर–पुस्तिका अवलोकन हेतु नियमावली–2024

दिनांक 16.8..2024 को 12वीं विद्या परिषद् में चर्चा के बाद परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.12.2024 में सर्वसम्मति से अनुमोदित उत्तर–पुस्तिका अवलोकन नियमावली–2024 लागू होगी–

वि.वि. के इच्छुक छात्र/छात्रा को अवसर होगा कि वे सैद्धान्तिक विषयों के उत्तर–पुस्तिकाओं का अवलोकन निम्न नियमों के अनुसार कर सकते हैं –

1. उत्तर–पुस्तिका का अवलोकन के लिए छात्र/छात्रा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 03 कार्य दिवस के अन्दर रू. 500/– (रू. पांच सौ मात्र) प्रति प्रश्न–पत्र की दर से जमा कर ऑनलाइन/ऑफलाइन फार्म भर कर परीक्षा कार्यालय में जमा कराना होगा।
2. छात्र/छात्रा को अवलोकन हेतु उत्तर–पुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
3. छात्र/छात्रा उत्तर–पुस्तिका के अवलोकन के समय मोबाइल फोन/इलेक्ट्रानिक गजट पेन/पेंसिल से लिखना/फोटो लेने पर प्रतिबन्ध होगा।
4. उत्तर–पुस्तिका में कोई उत्तर का मूल्यांकन नहीं हुआ है तो अमूल्यांकित उत्तर को पुनर्मूल्यांकन कराते हुए अंक प्रदत्त किए जाएगे।
5. यदि कुल प्रदत्त अंक व उत्तर–पुस्तिका के अन्दर दिये गये कुल अंक में भिन्नता आती है तो उत्तर–पुस्तिका के अन्दर दिये गये कुल अंक के योग को आधार माना जायेगा तथा उसी के आधार पर अंक प्रदत्त किया जायेगा।
6. यदि छात्र/छात्रा उपर्युक्त कार्यवाई से संतुष्ट नहीं है तो वे उत्तर–पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करवा सकते है इसके लिए उन्हें पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

27/12/2024

(डॉ. ए. के. सिंह)
परीक्षा नियन्त्रक
पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

Controller of Examination • University of Patanjali Haridwar •

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुनर्मूल्यांकन नियमावली–2024

दिनांक 16.8..2024 को 12वीं विद्या परिषद् में चर्चा के बाद परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.12.2024 में सर्वसम्मति से अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन नियमावली–2024 लागू होगी–

वि.वि. के इच्छुक छात्र/छात्रा को अवसर होगा कि वे सैद्धान्तिक विषयों के उत्तर–पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन निम्न नियमों के अनुसार करा सकते हैं –

1. पुनर्मूल्यांकन की सुविधा केवल सैद्धान्तिक विषयों के लिए होगी। आंतरिक व प्रयोगात्मक परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा।
2. पुनर्मूल्यांकन हेतु छात्र/छात्रा का परीक्षाफल घोषित होने के 15 कार्य दिवस के अन्दर रू. 2000/– (दो हजार मात्र) प्रति प्रश्न–पत्र की दर से जमा कर आनलाइन/ऑफलाइन फार्म भरकर आवेदन प्रपत्र परीक्षा कार्यालय में जमा करना होगा।
3. छात्र/छात्रा को सम्बन्धित मूल अंकपत्र वापिस करना होगा।
4. पुनर्मूल्यांकन हेतु दो विषय विशेषज्ञ/परीक्षक नियुक्त किये जाएंगे तथा उनके द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा।
5. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंकपत्र में देय होगा, चाहे वह मूल अंक से कम हो या अधिक।
6. यदि 20 प्रतिशत से ज्यादा छात्र/छात्राओं की पुनर्मूल्यांकित पुस्तिकाओं के अंक 15 प्रतिशत से ज्यादा या कम प्राप्त होते है तो ऐसी स्थिति में विषय की समस्त उत्तर–पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा।
7. नियमावली की बिन्दु संख्या 05 के अर्न्तगत आने वाले मूल्यांकनकर्त्ता शिक्षक के मूल्यांकन का भुगतान रोकते हुए आगे के किसी परीक्षा कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।

27/12/2024

(डॉ. ए. के. सिंह)
परीक्षा नियन्त्रक
पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

Controller of Examination
University of Patanjali Haridwar